(क) विगत दो वर्षों के दौरान राज्यों को नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त सहायता के बाद इन राज्यों में नक्सली हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का नक्सलियों से निपटने के लिए धनराशि में वृद्धि करने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री जितेन्द्र सिंह)**

**(**क**) से (ड.): ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय होने के कारण कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध मे कार्रवाई मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आती है, जो राज्यों में वामपंथी उग्रवादी (एल डब्ल्यू ई) गतिविधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटती हैं। केन्द्र सरकार स्थिति की गहन निगरानी करती है तथा अनेक तरीकों से उनके प्रयासों में सहायता एवं उसका समन्वय करती है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य बलों की सहायता हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) की 81 बटालियनों की तैनाती, विद्रोह रोधी तथा आतंकवाद रोधी ( सी आई ए टी) विद्यालयों की स्वीकृति, इण्डिया रिजर्व बटालियनों का गठन, नक्सल रोधी अभियानों के लिए सुरक्षा बलों को हेलिकाप्टर उपलब्ध कराना शामिल है।**

 **केन्द्र सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना स्कीम (एसआईएस) तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 400 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की योजना जैसी स्कीमों के माध्यम से क्षमता निर्माण में राज्यों को सहायता प्रदान करती है। एसआरई स्कीम, एस आई एस स्कीम तथा 400 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की स्कीम के तहत विगत दो वर्षों के दौरान जारी निधियों के राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।**

 **केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त व्यावहारिक प्रकृति के प्रस्तावों के आधार पर एस आर ई स्कीम, एस आई एस तथा 400 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की स्कीम इत्यादि के तहत निधियां जारी करती है।**

 **वर्ष 2011 में वामपंथी उग्रवादी समूहों द्वारा की गई हिंसा तथा इसके परिणामस्वरुप मरने वालों की संख्या वर्ष 2010 की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी। वर्ष 2011 में, 1760 वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 611 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जबकि वर्ष 2010 के दौरान 2213 घटनाएं हुई थीं तथा इनमें 1005 लोगों की मृत्यु हुई थी। चालू वर्ष में (दिनांक 31.07.2012 तक) वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की 950 घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण 278 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि वर्ष 2011 में तदनुरुप अवधि के दौरान वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की 1065 घटनाएं हुई थीं, जिनमें 355 लोगों की मृत्यु हुई थी।**

**अनुलग्नक**

**[‍दिनांक 29.08.2012 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1922 का भाग (क) से (ड.)]**

**एसआरई स्कीम, एसआईएस तथा सुरक्षित पुलिस स्टेशनों की स्कीमों के तहत जारी निधियों के राज्यवार ब्यौरे**

**(आंकड़े करोड़ रूपए में)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| राज्य | एसआरई स्कीम | एसईएस | सुरक्षित पुलिस स्टेशनों की स्कीम |
| 2010-2011 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2011-2012 |
| आन्ध्र प्रदेश | 28.19 | 10.73 | 17.51 | 23.77 | 2.00 | 20.00 |
| बिहार | 29.41 | 13.65 | 17.39 | 34.66 | 2.00 | 44.75 |
| छत्तीसगढ़ | 87.74 | 42.38 | 20.34 | 30.41 | 2.00 | 39.25 |
| झारखंड | 59.40 | 75.35 | 20.08 | 35.61 | 2.00 | 39.25 |
| मध्य प्रदेश | 1.56 | 0.27 | 2.32 | 7.48 | 1.00 |  5.60 |
| महाराष्ट्र | 13.67 | 7.63 | 8.79 | 4.34 | - |  5.50 |
| ओडिशा | 56.62 | 21.57 | 20.36 | 40.47 | 1.00 | 37.50 |
| उत्तर प्रदेश | 3.56 | 2.00 | 11.22 | 4.41 | - |  8.25 |
| पश्चिम बंगाल | 18.91 | 13.90 | 11.99 | 4.67 | - |  9.90 |
| कुल | 299.06 | 187.48 | 130.00 | 185.82 | 10.00 | 210.00 |

----